दण्ड के सिद्धान्त

दण्ड के सिद्धान्तों की व्याख्या के पूर्व अपराध, क्षति और आधार को जान लेना आवश्यक है।

दण्ड क्या है?

किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक पीड़ा देना दण्ड है। किसी मनुष्य को बिना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कष्ट देने पर भी शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो सकती है, जैसे कभी ज्वर से पीड़ित हो जाना, या दौड़ने से ठोकर खा जाना आदि। कुछ लोग इसे भी ईश्वर या किसी दैवी शक्ति के द्वारा कष्ट देना विचारते हैं। किसी भी दशा में दण्ड की अवधारणा में दो तत्व आवश्यक हैं। पहला दण्ड देने वाला और दूसरा जिसे दण्ड दिया जाता है।

दण्ड का कारण अपराध है। दण्ड किसी अपराध के लिए ही दिया जाता है। सामाजिक, राजकीय एवं राष्ट्रीय [illegible] शान्ति की व्यवस्था के लिए दण्ड ~~आवश्यक~~ आवश्यक है। दण्ड नैतिक [illegible] की व्यवस्था के लिए भी आवश्यक है। यदि सामाजिक राजकीय एवं राष्ट्रीय दण्ड का भय न हो, तो सामाजिक राजकीय एवं राष्ट्रीय शान्ति व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को हानि भी पहुँचा सकता है। यदि उसे दण्ड का भय नहीं रहे तो वह सदैव अपराध ही करेगा। व्यवस्था का उल्लंघन भी अपराध है। इस अपराध की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दण्ड दिया जाता है।

व्यवस्था तीन कोटि की होती है — व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजकीय। इन तीन प्रकार की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ईश्वरीय व्यवस्था भी है। इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वाले मनुष्यों को निम्नलिखित दण्ड भोगने पड़ते हैं।

(i) प्राकृतिक (ii) मनुष्य के द्वारा दिया गया दण्ड।
(iii) राजकीय दण्ड (iv) ईश्वरीय दण्ड।

अब हम दण्ड के उद्देश्य पर विचार करेंगे दण्ड क्यों दिया जाता है। यह मुख्य समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इस समस्या से सम्बन्धित तीन सिद्धांत हैं जो ध्यान देने योग्य हैं।

(1) प्रतिकारवादी।
(2) निवर्तनवादी।
(3) सुधारवादी।

(1) प्रतिकारवाद :— प्रतिकार का अर्थ है बदला लेना यदि किसी व्यक्ति ने जिस अनुपात में कोई अपराध किया है तो उसे उसी अनुपात में दण्डित करना प्रतिकारवाद है। यह मत इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक क्रिया की उसी अनुपात में प्रतिक्रिया होती है। अतः प्रत्येक कर्म का प्रतिफल भी अवश्य मिलना चाहिए, यदि कर्म अच्छा है तो पुरस्कार के रूप में और अपराध है तो दण्ड के रूप में। अपराध नियमों के उल्लंघन से होता है। नियमों के उल्लंघन से समाज में असमानता उत्पन्न होती है। अतः ~~अस्तु~~.

अतः इस सिद्धांत के अनुसार दण्ड न्यायोचित कर्म है यह सिद्धांत यह कहता है कि अपराधी को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए। दण्ड ~~अपराधी~~ अपराधी को पाप से मुक्त करता है। दण्ड देना समाज एवं राज्य का ~~सब~~ कर्तव्य है। दण्ड नहीं देने वाला समाज या राज्य अपने कर्तव्यों से विचलित होता है। यह सिद्धांत दण्ड को अपने आप में लक्ष्य मानता है। दण्ड किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं है। दण्ड नैतिक नियम की उच्चता तथा प्रभुता की रक्षा करता है।

दण्ड सिद्धांत का मूल उद्गम मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। दण्ड को नैतिक प्रेरणा भी कहा जाता है गया है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में दण्ड प्रतिकार भावना से प्रेरित होकर दिया जाता था।

अतः प्रतिकारवाद के अनुसार —

(1) दण्ड आवश्यक है।

(2) दण्ड अपराध के अनुपात में होना चाहिए। यानि कि प्रतिकारवादी सिद्धांत के अनुसार दण्ड अपराध का समानुपाती होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

3) प्रतिकारवादी सिद्धांत दण्ड को मृत्यु को भी उचित मानता है। किन्तु जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी की जान ले लेता है तो उसे भी जीने का अधिकार नहीं है। न्याय इसका समर्थन करता है। किन्तु सुधारवादी और निरोधवादी सिद्धांत इसका विरोध करते हैं।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि दण्ड देते समय जिन परिस्थितियों में अपराध किया जाता है उनका विचार करना चाहिए या नहीं। इसके विषय में दो मत हैं—

A) कठोरतावाद :— इस मत के अनुसार कोई दण्ड या पुरस्कार उसी अंश में होना चाहिए जिस प्रकार का कर्म किया गया है। यदि कर्म बहुत ही खराब हो तो दण्ड भी उतना ही बड़ा हो और यदि कर्म उतना खराब नहीं हो तो दण्ड भी उसी अंश में कम हो। पर दण्ड या पुरस्कार के वितरण में परिस्थिति का ध्यान नहीं रखना चाहिए। किस परिस्थिति के कारण या किन-किन वजहों से किसी ने अपराध या अच्छा कर्म किया है इस सिद्धांत के अनुसार दण्ड अपराधानुकूल होना चाहिए। किसी महान अपराध के लिए महान दण्ड ही देना चाहिए। तुच्छ अपराध के लिए तुच्छ दण्ड ही देना चाहिए। इस सिद्धांत को हम Tit for tat पर बल देते हुए पाते हैं। इसका ज्वलन्त रूप है, आँख के लिए आँख।

B) मृदुलवाद (शान्तमत) इस मत के अनुसार दण्ड या पुरस्कार के वितरण के समय कर्मों की बाह्य परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। न्याय करने में सम्पूर्ण परिस्थिति को जाँच लेना आवश्यक है। यह सिद्धांत दण्ड देने के लिए परिस्थिति और वातावरण पर ध्यान देने की क्रिया को आवश्यक मानता है। दण्ड देते समय हमें अपराधी की अवस्था, अनभिज्ञ, प्रेरणा, प्रेरक शक्ति तथा उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए।

Scanned with CamScanner

उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसे दण्ड देने के पूर्व हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि किस परिस्थिति में हत्या की गई, कौन सी क्रिया हत्या के लिए उसे प्रेरित की।

आलोचना :—

यह सिद्धांत जान बूझकर किए गए अपराधों पर ही लागू होता है। ~~संकल्प~~ किसी बाह्य दबाव के लिए किए गए अपराधों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है।

सुधारवादी आलोचकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार इस सिद्धांत का प्रधान उद्देश्य अपराधी को नष्ट करना है। ~~अतः~~ उनका मत है कि किसी को नष्ट देना अनैतिक कार्य है, किसी ~~अनैतिक~~ अनैतिक कार्य से दूसरे अनैतिक कार्य को हम मिटा नहीं ~~सकते~~ सकते।

प्रतिकारवादी सिद्धांत न्याय का विरोधी सिद्धांत है। यह सिद्धांत धर्मोपासकों एवं महात्माओं को मान्य नहीं है क्योंकि इस सिद्धांत में दया, सहानुभूति तथा अन्य पवित्र मानवीय भावनाओं का अभाव है।

उपर्युक्त त्रुटियों के बावजूद यह सिद्धांत संतोषप्रद है। दण्ड का लक्ष्य नैतिक नियमों के गौरव का संरक्षण है। इस अर्थ में अपराधी को दण्ड देना बिल्कुल उचित है। जब तक इस बात की स्वीकृति नहीं हो जाती है कि दण्ड द्वारा नियम के औचित्य का समर्थन होता है, तब तक न तो दण्ड के द्वारा किसी भी सुधार की आशा की जा सकती है और न अपराध का निराकरण ही हो सकता है।

~~न्याय करने से पूर्व सम्पूर्ण परिस्थिति को जाँच लेना आवश्यक है। यदि कोई~~